(329)

न्यायालय में, श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निग-2896-II/16

1. हेतराम पिता लक्षिमन अहीर,
2. प्रेमदास पिता लक्षिमन अहीर,

दोनों निवासी ग्राम निगाई, थाना तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) —— निगरानीकर्ता

बनाम

कार्यालय कलेक्टर शहडोल(म.प्र.)
23 AUG 2016
शाखा ... कलेक्टर

राजेन्द्र पिता हजारी प्रसाद अहीर, साकिन निगाई, थाना तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.)

—— रेस्पा.गण

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर शहडोल के रा.प्र.क्र. 187/निगरानी/अ–12/11–12 आदेश दिनांक 30/06/2016

महोदय,

मामले का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

यहकि, निगरानीकर्तागण द्वारा न्यायालय तहसीलदार जयसिंहनगर के रा.प्र.क्र. 12/अ–3/08–09 आदेश दिनांक 20/03/09 एवं रा.प्र.क्र. 44/अ–12/09–10 आदेश दिनांक 11/08/2010 उक्त दोनों प्रकरणों में पारित आदेश के विरूद्ध पृथक–पृथक निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। उक्त मामले में वादग्रस्त आराजी स्थित ग्राम निगाई खसरा नं. 321/3क रकवा 0.101 हे., के भूमिस्वामी निगरानीकर्ता क्र. 01 एवं खसरा नं. 321/3 ख रकवा 0.506 हे. के भूमिस्वामी निगरानीकर्ता क्र. 02 है तथा खसरा नं. 321/8 रकवा 0.405 हे. के भूमिस्वामी उत्तरदाता है।

यहकि, निगरानीकर्तागण के पिता लक्षिमन अहीर को ग्राम निगाई की उक्त भूमि खसरा नं. 321/3क एवं 321/3ख म.प्र. शासन से जरिये रा.प्र.क्र. 149/53–54 आदेश दिनांक 17/03/54 को प्राप्त हुई थी तथा उक्त आदेश के साथ भूमि का नक्शा भी निगरानीकर्तागण के पिता के नाम स्वीकृत किया गया था। तब से उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता के पिता मौके से काबिज थे एवं उसकी मृत्यु उपरांत निगरानीकर्तागण काबिज होकर उक्त भूमि को कांफी सुधार कर कृषि योग्य बनाया गया है।

यहकि, रेस्पांडेंटगण द्वारा अपने स्वामित्व की आराजी खसरा नं. 321/8 रकवा 0.405 हे. के नक्शा तरमीम बावत आवेदन पर प्रथम अधीनस्थ न्यायालय में ...

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–2876–दो/2016 जिला–शहडोल

हेतराम व अन्य विरूद्ध राजेन्द्र हजारी प्रसाद अहीर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आई.पी. द्विवेदी एवं अनावेदक की ओर से श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर शहडोल, जिला–शहडोल के प्रकरण क्रमांक 187/निगरानी/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30–06–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 11-3.19 सदस्य	